हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय अधिनियम, 2023

प्रिलिम्स के लिये:

हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय अधिनियम, 2023

मेन्स के लिये:

हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय अधिनियम, 2023 के लाभ और महत्त्व

चर्चा में क्यों ?

हिमाचल प्रदेश ने **अनाथों और विशेष रूप से ज़रूरतमंदों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिये** सुखाश्रय (राज्य के बच्चों की देखभाल, संरक्षण एवं आत्मनिर्भरता) अधिनियम, 2023 पारित किया है।

सुखाश्रय अधिनियम, 2023 के मुख्य बिंदु:

- **परिचय :**
  - यह अधिनियम ऐसे बच्चों जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, **जिनके माता-पिता नहीं हैं या माता-पिता अक्षम हैं, को अनाथ** के रूप में परिभाषित करता है। इसमें ऐसे बच्चे शामिल हैं जिनके पास घर नहीं है या जो जबरन शादी, अपराध या नशीली दवाओं के दुरुपयोग के जोखिम में हैं।
  - यह अधिनियम **18-27 वर्ष की आयु के बीच के लाभार्थियों को** व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास और अनुशिक्षण के साथ समाज के सक्रिय सदस्य बनने में मदद करने हेतु **वित्तीय तथा संस्थागत लाभ** प्रदान करता है।
  - अधिनियम समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग की सुरक्षा एवं देखभाल सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- **अधिनियम के तहत लाभ:**
  - **101 करोड़ रुपए परिव्यय के साथ मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष बनाया गया है** तथा योजना की देख-रेख के लिये **प्रत्येक ज़िले में एक बाल कल्याण समिति की स्थापना** की जाएगी।
  - इसके तहत अनाथ एवं विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चे **'राज्य के बच्चे' माने जाएंगे।**
  - **इसके तहत वित्तीय लाभ में गर्मियों एवं सर्दियों में 5,000 रुपए**, प्रमुख **त्योहारों हेतु 500 रुपए** तथा कॉलेज में **दैनिक खर्च के लिये 4,000 रुपए मासिक भत्ता** शामिल है।
  - **संस्थागत लाभों में ट्रेन टिकट** और **राज्य के भीतर 10 दिनों के लिये आवास** तथा **ITI एवं सरकारी कॉलेजों में लाभार्थियों हेतु छात्रावास शुल्क** शामिल है।
  - सरकार, **शादी के समय तय रकम** तथा **अपना घर बनाने के लिये तीन बिस्वा ज़मीन** प्रदान करेगी।
  - **अनाथ** जो अपने **स्वयं के स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हैं**, उन्हें **उद्यमशीलता की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु एक सांकेतिक कोष** प्रदान किया जाएगा।
    - **पीएच.डी. छात्रों को मासिक भत्ता भी मिलेगा।**
- **अधिनियम में उल्लिखित अन्य सुरक्षा उपाय:**
  - बाल देखभाल संस्थानों के पूर्व निवासियों को 21 वर्ष की आयु तक राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
  - प्रत्येक बच्चे और अनाथ का आवर्ती जमा खाता खोला जाएगा एवं **राज्य सरकार इन खातों में प्रचलित दरों के अनुसार अंशदान करेगी।**
  - **बाल कल्याण समिति अनाथों की पहचान हेतु सर्वेक्षण करेगी एवं ज़रूरतमंद** बच्चों की मांगों पर गौर करेगी।

नोट: **किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015** के अनुसार, देश में अनाथ एवं निराश्रित बच्चे "देखभाल तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे" (Children in Need of Care and Protection- CNCP) हैं। अधिनियम के निष्पादन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

केंद्र सरकार की समान पहल:

- **बाल संरक्षण सेवा (Child Protection Services- CPS) योजना या "मिशन वात्सल्य":**
  - इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया।
  - CPS के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार **कठिन परिस्थितियों में बच्चों का स्थितिजन्य विश्लेषण करने के लिये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है।**
  - इस योजना के तहत देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को **बाल देखभाल संस्थानों** (Child Care Institutions- CCI) में संस्थागत देखभाल प्रदान की जाती है।
  - **यह योजना गैर-संस्थागत देखभाल भी प्रदान करती है** जिसमें गोद लेने, पालन-पोषण, देखभाल और प्रायोजन (Sponsorship) हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/himachal-pradesh-sukhashraya-act-2023